उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन विभाग

संख्या- 154/2018/2240/41-2018-01 सा0/2018

लखनऊः दिनांक- 29 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश, पर्यटन विभाग के बढ़ते आयाम एवं क्षेत्र के दृष्टिगत पर्यटन विकास के कार्यो को त्वरित गति प्रदान करने हेतु पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं शासन के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्यो को समय से सम्पादित किये जाने के लिये पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 मुख्यालय पर 'विशेष कार्याधिकारी' का एक नि:संवर्गीय पद वेतनमान रू0-15600-39100 ग्रेड-पे रू0 5400/- मैट्रिक्स लेवल-10 (56100-177500) में सृजित करने तथा सृजित किये जा रहे 'विशेष कार्याधिकारी' के नि:संवर्गीय पद पर श्रीमती प्रमिला किशोर पत्नी स्व0 हरिराज किशोर आई0ए0एस0 को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- श्रीमती प्रमिला किशोर की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा पद त्याग इनमें से जो भी पहले हो, के साथ ही उक्त नि:संवर्गीय पद स्वत: समाप्त हो जायेगा।

2- श्रीमती प्रमिला किशोर के वेतन एवं भत्ते आदि वित्तीय हस्त पुस्तिका के संगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होंगे।

3- विशेष कार्याधिकारी के सृजित नि:संवर्गीय पद पर श्रीमती प्रमिला किशोर की तैनाती उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी।

4- विशेष कार्याधिकारी का सृजित नि:संवर्गीय पद वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक रहेगा और सृजित नि:संवर्गीय पद की आवश्यकता एवं औचित्य पाये जाने पर इस पद की निरन्तरता जारी करने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का अनुमोदन वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्राप्त करते हुए की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-821/दस/2018 दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

अवनीश कुमार अवस्थी

अपर मुख्य सचिव

संख्या- 154/2018/2240(1)/41-2018-01सा0/2018 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1985/2-9 (ओ0एस0डी0)/का0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 के अनुक्रम में।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन उ**0प्र0** लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- श्रीमती प्रमिला किशोर पत्नी रूव0 हरिराज किशोर, आई0ए0एस0, मकान नं0- 3, टाइप 4, राजभवन कालोनी, लखनऊ, उ0प्र0।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा **से**

ए0पी0 सिंह
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।